



न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 1510 / 2003 / चुरु

1. घेवरी देवी बेवा रावताराम
2. लालाराम
3. आसाराम
4. सुगनाराम
पुत्रगण रावताराम जाट नि० ग्राम दाउदसर तहसील रतनगढ जिला चुरु
5. मु०पेमा पुत्री रावताराम पत्नी रामलाल जाट नि० जुहार तह०व जिला चुरु
6. मु०चन्दु पुत्री रावताराम पत्नी बालूराम जाट नि०सरदारपुरा
तहसील फतेहपुर जिला सीकर
7. औंकार पुत्र भगवताराम जाति जाट नि०ग्राम दाउदसर
तह० रतनगढ जिला चुरु
8. मु०परमेश्वरी देवी पुत्री भगवताराम पत्नी सुगनाराम जाट नि०सेहला
तहसील रतनगढ जिला चुरु
9. मु०कम्मो पुत्री भगवताराम पत्नी बरणाराम जाट निवासी ढाणी
(मालासी के पास) तहसील सुजानगढ जिला चुरु
10. मु०सन्तु पुत्री भगवताराम पत्नी भीवाराम जाट नि० रतनसरा
तहसील रतनगढ जिला चुरु
11. रामेश्वर पुत्र सुरजाराम जाट
12. सोहनराम पुत्र कालूराम जाट
13. बक्साराम पुत्र कालूराम जाट
नि०दाउदसर तहसील रतनगढ जिला चुरु
14. मु० सिंगारी पुत्री स्व०कालूराम पत्नी पेमाराम जाट निवासी मेलूसर
15. मु० भंवरी पुत्री स्व०कालूराम पत्नी न्योलाराम जाट निवासी आसलसर
तहसील सरदारशहर जिला चुरु
16. पेमाराम पुत्र पुर्णाराम जाट
17. भंवराराम पुत्र पुर्णाराम जाट
18. नोपाराम पुत्र पुर्णाराम जाट
तीनों निवासीगण दाउदसर तहसील रतनगढ जिला चुरु

....अपीलांट्स

बनाम

1. खुमाणाराम पुत्र गुलाराम जाति जाट नि०दाउदसर तह०रतनगढ जिला चुरु
2. श्रीमती चुन्नी देवी पुत्री गुलाराम पत्नी मालूराम जाट नि०रूपलीसर

तहसील सरदार शहर जिला चुरु

3. श्रीमती भूरी पुत्री गुलाराम पत्नी दानाराम जाट निवासी गिनडीया तहसील व जिला चुरु
4. श्रीमती रामूडी पुत्री सुरजाराम धर्मपत्नी रूपाराम जाट नि0दाउदसर हाल बनडाऊ तहसील सरदार शहर जिला चुरु
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रतनगढ जिला चुरु

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री रवि प्रकाश शर्मा, सदस्य

उपस्थित—

श्री पूर्णाशंकर दशोरा, अभिभाषक अपीलांट
श्री डूंगरसिंह एवं श्री अमृतपाल सिंह वानर, अभि0 रेस्पो0

दिनांक 22.3.2018

निर्णय

यह द्वितीय अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23-12-2002 के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात् हमारा निष्कर्ष निम्न प्रकार से है।

3. प्रार्थी जरिये अभिभाषक श्री डूंगरसिंह द्वारा दिनांक 5-2-2013 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त अपील में पक्षकारों के मध्य अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के रूबरू दिनांक 17-12-2012 को राजीनामा प्रस्तुत कर तस्दीक

किया जा चुका है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में तस्दीक राजीनामा के अनुसार इस अपील को निर्णित करने के आदेश प्रदान किये जावें।

4. अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 23-12-2002 एवं उपखण्ड अधिकारी रतनगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7-12-94 निरस्त किये जाते हैं तथा यह आदेश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय राजीनामा की नियमानुसार जांच करेगा एवं उभय पक्ष को राजीनामा पर सुनेगा तथा यदि कोई आपत्ति हो तो उसका निस्तारण करेगा एवं तत्पश्चात विधि अनुसार निर्णय पारित करेगा एवं उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के आदेश दिनांक 21-2-03 द्वारा जो दावे को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है, वह आदेश इसमें बाधक नहीं होगा।

5. उपरोक्तानुसार यह अपील अपीलांट्स निर्णित की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि प्रकाश शर्मा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य